प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 30.01.2026**

- **थाना रनियां जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 94 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) कीमत लगभग ₹ 50,00,000/- व बेचे गये गांजे के ₹ 20,200/- नगद, 02 कीपैड मोबाइल सहित 02 टीवीएस मोपैड को किया गया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रनियां पुलिस को दिनांक 29.01.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 02 व्यक्ति टीवीएस मोपैड से प्लास्टिक के टव में गांजे के पैकेट लेकर रायपुर कुकहट फैक्ट्री एरिया में खड़े है। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस बल तत्काल फैक्ट्री एरिया में निमार्णाधीन हर्षित जायसवाल की फेक्ट्री के पास पहुंचे तो देखा कि 02 व्यक्ति टीवीएस मोपैड में साथ बैठे दिखाई दिये। जब उक्त दोनों व्यक्तियों ने पुलिस टीम को देखा, तो उन्होने मोपैड स्टार्ट कर भगाने का प्रयास किया। परन्तु पुलिस टीम द्वारा घेरकर दोनों व्यक्तियो को भागने का कारण पूछा, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग टव बेचने की आड़ में गांजा बेचने का काम करते है तथा कुछ गांजा हमारे पास प्लास्टिक के टव में है। तत्पश्चात दोनों व्यक्तियो से पूछताछ करते हुए जामा तलाशी ली गयी तो तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम आर्यन पुत्र अमर सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी कंजड बस्ती सचेंडी थाना सचेंडी जनपद कानपुर नगर व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अनुज कुमार पुत्र दीपक उम्र करीव 22 वर्ष निवासी 281 हरजिंदर नगर लाल बंगला थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर बताया। जिनके कब्जे से 02 पैकेट अवैध गांजा व 20,200/- रुपये एवं 02 कीपैड मोबाइल बरामद हुए। अभियुक्तों के कब्जे से बरामदगी के आधार पर पुलिस हिरासत में लिया गया।

पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की गयी, तो दोनों अभियुक्तों ने बताया कि हमारे पास और भी गांजा है। जो बन्द पड़ी फैक्ट्री में रखा हुआ है। अभियुक्तों की निशानदेही पर बन्द पड़ी फैक्ट्री से अवैध गांजा व 01 अन्य टीवीएस मोपैड बरामद किया गया। इस प्रकार अभियुक्तों के कब्जे व निशानदेही से कुल 94 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा (कुल अनुमानित कीमत 50,00,000/- रुपये) बरामद हुआ। अभियुक्तों से बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना रनियां पर मु0अ0सं0 0019/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1-आर्यन पुत्र अमर सिंह उम्र करीव 30 वर्ष निवासी कंजड बस्ती सचेंडी थाना सचेंडी जनपद कानपुर नगर।

2- अनुज कुमार पुत्र दीपक उम्र करीव 22 वर्ष निवासी 281 हरजिंदर नगर लाल बंगला थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी का विवरण

1. 94 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) कीमत लगभग ₹ 50,00,000/-
2. बेचे गये गांजा के नगद बरामद ₹ 20,200/-
3. 02 कीपैड मोबाइल।
4. 02 टीवीएस मोपैड।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनुज उपरोक्त –

1-मु0अ0स0435/2020 धारा 147/323/354(क)/427/504/506 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।

2-मु0अ0स0 0098/2022 धारा 147/323/504/506 भादवि0 थाना किदवई नगर जनपद कानपुर नगर।
3-मु0अ0स0 0251/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना किदवई नगर जनपद कानपुर नगर।

गिरफ्तारी करने वाली थाना रनियां पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री शिवनारायन सिंह
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार पाल
3. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह
4. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह
5. हे0का0 10 संजय सिंह
6. हे0का0 267 सत्येन्द्र सिंह
7. का0 201 नरेन्द्र राणा
8. का0 629 सोनू कुमार
9. हो0गा0 1089 लक्ष्मीकांत